आरइओ–189

क्र./जे.पी.डी/मु.अ.(वाणिज्य)/अधी.अभि./(आर.ई.)/प /प्रे. 3502 दिनांक 4/3/08

आदेश

विषयः–कृषि कनेक्शन स्वीकृत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता को अधिकृत करने हेतु।

कृषि नीति 2004 (संशोधित 31.03.07) के बिन्दु सख्या 9 (II) क, ख, व ग के अनुसार 11/0.4 केवी सबस्टेंशन से अधिकतम दो कृषि कनेक्शन तथा प्रत्येक के लिये अधिकतम 270 मीटर की दूरी तक सीधे एल टी ए.बी. केबल डालकर जारी करने का प्रावधान है। तथा बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कृषि कनेक्शन के लिये अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया हुआ है।

निगम से जारी आर.ई.ओ.–187 दि. 19.02.08 के अनुसार प्रत्येक कृषि कनेक्शन के लिये 7.5 एचपी लोड तक के लिये 3 फेस, 11/0.4 केवी, 10 केवीए का ट्रांसफार्मर तथा 7.5 एचपी के ऊपर के लोड के लिये 3 फेस 11/0.4 केवी, 16 केवीए का एक ट्रांसफार्मर उपभोक्ता के कुंए/बोरिंग पर लगाने का प्रावधान रखा गया है।इसकी वजह से कृषि कनेक्शन की तकनीकी साध्यता जॉचने की आवश्कता नहीं रहेगी।

अतः अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता को कृषि कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(बी.एल. अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
जयपुर डिस्कॉम,जयपुर

C:\Documents and Settings\RANJAN\Desktop\Order-I.doc